

GOVERNMENT BILLS

***The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021**

and

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2020 - Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, Shri K.C. Ramamurthy to speak.
...(Interruptions)...

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to speak on these two very important pieces of legislations. There is a hue and cry as to why the Surrogacy (Regulation) Bill was not passed by this House. It does not hold much water because if one looks at the report of the Select Committee, it is observed that before passing the Surrogacy (Regulation) Bill, the Government should first bring the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, as bringing the Surrogacy (Regulation) Bill before the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill will be irrelevant and would create duplication of work. I compliment the hon. Minister for taking up both the Bills together, since the Surrogacy (Regulation) Bill needs to be positioned and understood in close conjunction with the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill.

Sir, with these preliminary submissions, I rise to support the Bills, moved by the hon. Health Minister. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य की बात के अलावा कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय के.सी. रामामूर्ति जी बिल पर बोल रहे हैं।

SHRI K.C. RAMAMURTHY: I also thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, for understanding and safeguarding the reproductive rights and problems of surrogate mothers, and addressing mushrooming growth of the assisted reproductive technology clinics, which are among the highest in the world.

* Discussed together.

Further discussion continued from 07.12.2021.

Many of these clinics are violating ethical, medical and legal aspects. Not just this, we don't have standard protocols for the assisted reproductive technology clinics as yet. So, these two Bills are a step in the right direction, and the House is grateful to the hon. Prime Minister for this move. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति : इसके अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। जो माननीय सदस्य बैल में खड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपनी सीट्स पर जाएं। आप लोग आपस में बात न करें। प्लीज़, आपस में बात न करें।

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, first, I would like to make my brief submissions on the Surrogacy (Regulation) Bill. According to some studies, which have been conducted, surrogacy and fertility business in India is to the tune of about Rs. 30,000 crores, with clinics running into thousands across the country, offering artificial insemination, *in vitro* fertilization and surrogacy. The growth rate in surrogacy is 20 per cent. And, the fact that annually 10,000 people are coming to India only for surrogacy, gives a clear picture of surrogacy market in the country. There are also unregulated sperm and ovum banks, which should also be regulated.

There is one more side of this issue. Surrogacy and Assisted Reproductive Technology are too expensive procedures, and it is beyond the reach of poor, lower-middle, and middle class couples, as they are not able to afford the expenses and are looking for finances. We all know that no bank gives loan for IVR, and IVR is not covered by any insurance company too. So, private finance companies are mushrooming and luring the above section of people with loans and EMI facilities for surrogacy and Assisted Reproductive Technology. Further, we have no public insurance cover for infertile couples, and as the patients pay out of pocket, their expenses for fertility treatment and often have unrealistic expectations which lead to dissatisfaction, unnecessary litigations and exploitation. Therefore, we need to safeguard the interests of our healthcare providers, along with looking after the benefits of our infertile couples, donors, and surrogates. So, I appeal to the hon. Minister to see how Government can ensure, regulate and monitor these serious concerns.

My next point is relating to Clause 2(p) of the Bill, which defines 'infertility'. The definition says that the inability to conceive after five years of unprotected coitus or other proven medical condition preventing a couple from conception. It means, couple has to prove infertility to become eligible for surrogacy. But, there may be other medical conditions where a woman may conceive, but is unable to carry a child due to some medical complications. And, there may be other medical conditions,

such as, multiple fibroids in uterus, hypertension, etc., that may affect pregnancies. Since these conditions are not included under Clause 2(p), such women become ineligible to undertake surrogacy. There are countries, like, South Africa, Greece, and Netherlands, which are permitting such conditions. So, I request the hon. Minister to kindly look into this point. Sir, I welcome Clause 2(g) of the Bill, which defines the term 'couple' and the Bill allows only infertile Indian couples to opt for surrogacy. I welcome that. It bans foreigners and commercial surrogacy. I request the hon. Minister to consider permitting NRIs, unlike OCIs, as they are still citizens of our country. ...*(Interruptions)*..

The next point I wish to make is relating to Clause 4, which deals with getting certificate of essentiality and certificate of eligibility and it also prescribes various conditions. But, if the appropriate authority rejects application, there is no provision under which the aggrieved couple can go in for appeal. As per the Bill, if one's application is rejected, there is no other option for the couple to appeal. But, I am sure, the hon. Minister must be aware that in the Transplantation of Human organs Act or the Juvenile Justice Act, you have made provisions for appeal. ...*(Interruptions)*.. So, I request the hon. Minister to look into this point and permit at least one review and appeal to the couple, since the very objective of the Bill is to facilitate the couple get a baby.

Sir, Clause 4(iii)(b) (ii) talks about 'close relative'. I was looking for the definition of 'close relative' under Clause 2, but did not find one. The Bill mainly focuses and hangs upon 'close relative' to be a surrogate. Since this term is so significant and important in the Bill, I feel, if it is clarified a bit, it would become easy to identify who constitute 'close relative.' People wanted to know whether members of HUF are permitted. I request the hon. Minister to kindly clarify this point. So, Sir, the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020, is a progressive Bill and aims to stop spurring a human extractive industry euphemistically called 'surrogacy' involving huge amount of money, mostly at the cost of surrogate.

श्री उपसभापति: वेल में खड़े माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे placards न दिखाएं। ...*(Interruptions)*.. please go back to your seats. ...*(Interruptions)*..

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Secondly, there is also a need for bringing awareness about various aspects of surrogacy to the people of this country.

Sir, I now come to the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 and would like to make a few points on that. ...*(Interruptions)*.. As rightly pointed out in the Statement of Objects and Reasons, ART in the country has gone

up by leaps and bounds and according to the Indian Society of Assisted Reproduction, there are nearly 27.5 million infertile couples, which is about 10 to 15 per cent of married couples in the country. ...*(Interruptions)*.. Sir, having a baby is the dream of every woman and the Indian woman feels that she is complete only when she attains motherhood. So, ART is one more method of helping women to realise their dream. Every infertile couple's inspiration is Louise Brown — the first IVF baby — born in 1978 for the world and Durga born in India the same year. The world has travelled a lot in IVF, but, unfortunately, we do not have regulations and legislation till now. ...*(Interruptions)*.. And, I compliment hon. Mandaviyaji for bringing forward this legislation, which is very, very progressive. This legislation will bring in standardization of protocols and reporting of cases. ...*(Interruptions)*.. It also mandates that all clinics should provide professional counselling about implications and chances of success of ART procedures under Clause 21 of the Bill. It will help the couples to know the progress and prospects of their becoming parenthood.

Sir, even though Clause 25 permits clinics for conducting pre-implantation testing to screen the human embryo for genetic disorders, but the beauty of the legislation is that it prohibits offering couple or woman from giving information of a pre-determined sex.

The next point I wish to make is about exploitation of ART procedures, be it negligence in surgical procedures in harvesting eggs from woman, preservation issues, sex selection procedures done by ARTs, commercialisation of ovum and sperm donation, etc. I think we also have a movie on sperm donation by the name Vicky Donor. So, there is a need to safeguard the ART procedures from exploitation by vested interests. I am saying this because, as I mentioned earlier, we have more than 40,000 ARTs, but nobody knows how they are functioning, whether they are following the regulatory measures and guidelines properly, etc. So, I appeal to the hon. Minister to see that banks and clinics formed under Clause 15 of the Bill should be vigorously monitored, regularly inspected and, for this, a national body with representatives from all the States, comprising of eminent reproductive specialist, gynaecologists, eminent legal practitioners, an embryologist, a social scientist, apart from representatives of the Ministries should be formed. ...*(Interruptions)*.. Further, as all of us know, infertility is a public health issue and a public health risk. As there are many people who cannot afford the medical treatment for infertility, insurance cover/cash claims should be provided to them and accordingly an amendment be made in the Insurance Act, if possible. ...*(Interruptions)*..

With these submissions, I support the Bills and, once again, compliment the hon. Health Minister for these progressive legislations. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय श्री के.सी. रामामूर्ति जी। ...**(व्यवधान)**..

मैं आग्रह करूंगा कि आप सब अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह बहुत स्पष्ट कहा है कि लीडर ऑफ दि अपोजिशन, लीडर ऑफ दि हाउस और बाकी लीडर्स मिलकर इसके बारे में बात करें। मेरा आग्रह है कि आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं।...**(व्यवधान)**...डा. अमर पटनायक जी। ...**(व्यवधान)**...श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...प्लीज, आप लोग आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**...माननीय सदस्य की बात के अलावा कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Namaste Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Surrogacy Regulation Bill, 2020, which is an important matter of women empowerment.**(Interruptions)**... .

श्री उपसभापति: प्लीज, आप सीट्स पर बैठकर बात न करें। ...**(व्यवधान)**...वैल में खड़े होकर बात करना, इस तरह के placards दिखाना राज्य सभा के रूल्स और प्रोसीजर के अनुकूल नहीं है।...**(व्यवधान)**...So, please go back to your seats.**(Interruptions)**... . Please.**(Interruptions)**... .

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, commercial surrogacy was legalized in 2002 in India and due to the absence of regulations, India has become hub for transnational surrogacy.**(Interruptions)**... . Women who choose to become surrogates were subjected to exploitation and unethical treatment.**(Interruptions)**... .

In the past, several issues were reported to police and courts in relation to harassment and violation made against surrogate mothers.**(Interruptions)**... .

By regulating the practice of surrogacy in the country, this Bill will put an end to those exploitative practices and protect interests of women in India. ...**(Interruption)**...

I am happy that the Bill was referred to Rajya Sabha Select Committee and the Cabinet had approved most of the recommendations, including allowing widows and divorcees to opt for surrogacy, ban on commercial surrogacy, extensive insurance cover up to 36 months and also additional monetary benefits.**(Interruptions)**... .

Sir, the Bill proposes to regulate the surrogacy through National Surrogacy Board and the State Surrogacy Boards which is a very welcome step.**(Interruptions)**... .

This Bill allowing the willingness to accept for surrogacy beyond a close relative also is a welcome move.**(Interruptions)**... .

Sir, I have a few suggestions to make.(Interruptions)... . It is appreciable that the Government has introduced this Bill to look after the interests of women.(Interruptions)... . But I would like to draw the attention of the Government to the fact that the Andhra Government has passed Disha Bills to provide speedy justice to women.(Interruptions)... . These Bills are pending the assent of the President of India.(Interruptions)... . I urge the Government to take this issue into consideration and expedite the assent in the interest of women.(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. MPs, please put face masks while standing in the Well.(Interruptions)... . You are not supposed to stand in the Well.(Interruptions)... . Please go back to your seats.(Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, although the Surrogacy Bill provides for extensive insurance coverage for the surrogate mother, it does not outline the basic criteria that the insurance must cover such as counselling for postpartum depression, nutritional supplements, etc.(Interruptions)... . This must be provided to ensure that the surrogate mother is protected against all possible effects of maternity.(Interruptions)...

The provision of maternity benefits must be passed on to both the mothers. The Bill is silent on this. I urge the Government to address it.(Interruptions)...

The new Bill is also silent on LGBTQ couple, which is also needed to be addressed.(Interruptions)... . I urge the Government to ensure that the ART Bill precedes the introduction of Surrogacy Bill. The regulation of ART is a necessary pre-condition for effective implementation of Surrogacy Bill.(Interruptions)...

Sir, while there are a few criticisms of the Bill, on the whole, the recent moves of the Government with a liberal view or approach on the issues of Surrogacy Bill and ART Regulation Bill are all much needed and welcome.(Interruptions)...

The Surrogacy Regulation Bill, 2020 is an ethical, moral and social piece of legislation which protects both exploitation of surrogate mother and the rights of a child born through surrogacy.(Interruptions)...

The need of the hour is to recognize surrogacy as a "Right" and not a "Need".(Interruptions)...

I, on behalf of YSR Congress Party, support this Bill with above suggestions. Thank you, Sir.(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. Somaprasad; not present. Dr. M. Thambidurai.(Interruptions)... . प्लैकार्ड लेकर स्लोगन बोलना और वैल में खड़ा होना राज्य सभा के

रूल्स और प्रोसीज़र के अनुकूल नहीं है। ...**(व्यवधान)**...फिर भी मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे कृपया अपनी सीटों पर जाएं। ...**(व्यवधान)**... डा. एम. थंबीडुरई जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 and The Surrogacy (Regulation) Bill, 2020 introduced by the hon. Health Minister.*(Interruptions)*...

Sir, I welcome the Bills introduced by the hon. Health Minister and also congratulate the Modi Government for bringing such legislations to help the common people of this country. Do you know why these Bills have come?*(Interruptions)*... . India has emerged as a surrogacy hub for couples from different countries for the past few years. Due to the lack of proper legislations to regulate surrogacy, the practice of surrogacy has been misused by many people and surrogacy clinics, which lead to rampant commercial surrogacy and unethical practices in the field of surrogacy.*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the other speakers speak. Don't deprive them of their rights.*(Interruptions)*... . Please, let the other Members speak. दस दिनों से हम इस पर डिबेट नहीं कर पाए। ...**(व्यवधान)**...Let him speak, please.*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I can see a lot of merits in the Surrogacy Bill. The Bill provides that every ART clinic and bank must be registered under the National Registry of Banks and Clinics of India. The National Registry will be established under the Bill and will act as a central database with details of all ART clinics and banks in the country.*(Interruptions)*... . When clinics are established, they must have good infrastructure facilities. That is very important. Without that the clinics cannot provide this kind of a treatment. The Bill provides for that. There are many merits in the Bill. The first merit is, registration of all ART clinics and banks.*(Interruptions)*... The aim is to control all unethical Assisted Reproductive Technology practices, including gamete donation, improve quality of Assisted Reproductive Technology services, decrease cost of assisted reproduction treatment, conduct research on new emerging areas of assisted reproduction, develop low-cost assisted reproduction technology for economically weaker sections of the society and develop policies and guidelines from time to time for assisted reproduction. Sir, 25 million infertile couples would be more sure of ethical practices in ART and other clinics.*(Interruptions)*... . There is one thing that I wish to point out here. The

Board constituted under the Bill is a welcome step, but, at the same time, what they have said is that the affected persons cannot go to the court directly. They can only make an appeal through the Board.(Interruptions)... According to this Bill, no court would take cognizance of offences under the Bill except on a complaint made by the National or State Board or any officer of the authorized banks.(Interruptions)...

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य की बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, this is the problem. If an affected person wants to go to the court, why stop him?(Interruptions)... . If you want him to pass through bureaucracy once again, there would be problems. He should be allowed to go to the court directly. Why make him go through the Board? Therefore, I would request the hon. Minister to consider this point. Give the right to the affected person to go to the Court directly and not through the Board.

Sir, I do not wish to take much time of the House. These two Bills are welcome. My Party supports them. At the same time, let the Minister consider my request of giving liberty to the affected person to approach Court directly and not through the Board.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Jaya Bachchan; not present. Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...**(व्यवधान)**... माननीय कनकमेदला रवींद्र कुमार जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to speak on two important Bills, which intend to regulate the medical technology of surrogacy. One of them is the important Assisted Reproductive Technology.(Interruptions)... .

I would first speak on the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021. The Select Committee of Rajya Sabha that dealt with the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020, was of the view that the Surrogacy Bill should come into force only after the enactment of the ART Bill.

Sir, the words like 'fertility centre', 'IVF centre' were never heard of in our Indian society, but gradually these things have become part and parcel of our society. There were mushrooming artificial reproduction centres across the country.

....(*Interruptions*)... . The ICMR drafted the National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India in 2005 as the first ever national guidelines for laying down standards of conduct for surrogacy in India.(*Interruptions*)... . Due to non-existence of proper legislation in order to control and reign in them, there were adverse reports in the media as well as unnecessary litigations filed in the courts of law.(*Interruptions*)... . The Law Commission of India took cognizance of this issue. It made recommendations and suggestions to the Government on this issue and now we are deliberating on the two important Bills.(*Interruptions*)... .

The Bill speaks about 'Assisted Reproductive Technology', 'Assisted Reproductive Technology Clinic', 'commissioning couple', 'woman', 'National Board', 'State Board' and other related issues in this regard.(*Interruptions*)... . Certainly, the instant legislation is a bold step in an attempt to recognise and adopt the changing social milieu.(*Interruptions*)... . Finally, the Bill would bring about the registration of all the clinics; it would control unethical ART practices; it would improve the quality of ART services; it would facilitate framing of requisite policies as we would be having all the data and, most importantly, the needy couples would be more of the ethical practice of ART.(*Interruptions*)... .

Clause 8 of the Bill deals with the powers and functions of the State Surrogacy Board. Clause 8 states, "The State Board shall have the responsibility to follow the policies and plans laid down by the National Board for clinics and banks in the State."(*Interruptions*)... . If the State Boards are to follow the policies and plans laid down by the National Board, the Government can open their branch in each State instead of setting up State Surrogacy Board.(*Interruptions*)... . Such a provision in the Bill is an affront to our federal society.(*Interruptions*)... . I urge the hon. Minister to look into the aspect and make State Boards autonomous.(*Interruptions*)... .

There are only few IVF clinics in Government sector.(*Interruptions*)... . In private sector, the number of IVF clinics is more in number.(*Interruptions*)... . I urge the Government to set up IVF clinic in all district hospitals, only then will the objective of the Bill be achieved.(*Interruptions*)... .

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2020 deals with the recognised Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021.(*Interruptions*)... . This Bill totally prohibits commercial surrogacy and endorses only altruistic surrogacy.(*Interruptions*)... . The Bill also has taken care of the aspect of age when the infertility couple could opt for Assisted Reproductive Technology.(*Interruptions*)... . It protects the surrogate mother from exploitation.

....(Interruptions)... . Five-year duration after the marriage has been prescribed when one has to opt for surrogacy.(Interruptions)... . This is not correct particularly in those cases where some congenital defects or serious medical disorders are present.(Interruptions)... . The WHO's criteria for infertility is one year of unprotected intercourse only and it says that infertility treatment could be started right away.(Interruptions)... . Why could the same not be applied to the surrogacy programme?(Interruptions)... . The five-year wait clause has no meaning in some cases.(Interruptions)... . The Bill, while regulating surrogacy and surrogacy procedure, states in Clause 4 that, "No person, other than a close relative of the intending couple, shall act as a surrogate mother and be permitted to undergo surrogacy procedure as per the provisions of this Act."(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ... (Interruptions)... This is completely undemocratic. ... (Interruptions)... . आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। ... (व्यवधान)... यह आपका कैसा democratic विरोध है? ... (व्यवधान)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Who is close relative?(Interruptions)... . There is no mention about this in the definition clause of the Bill.(Interruptions)... . There are as many as 33 definitions in Clause 2, but there is no definition regarding 'close relative'.(Interruptions)... . I urge upon the Government to bring in an amendment to resolve this issue.(Interruptions)... . With these suggestions, I support these Bills.(Interruptions)... . Thank you.

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.) (Haryana): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. I rise to support this Bill.(Interruptions)... . I thank the hon. Health Minister for bringing this important Bill. Any legislation which will regulate these practices will increase medical tourism, which will, in turn, lead to an increase in revenue. I would like to point out that raising a family is an important aspect of life in Indians.(Interruptions)... . India faces a lot of burden in terms of infertility with, at least, 27 to 30 million reported couples of infertility. It is 10 to 15 per cent in India and next only to China. The highest number of infertile couples in the world is in these countries. And, infertility means a low morale. Even in Armed Forces, we have such couples and every couple has a right to bear a child. Under these situations, the ART services will offer a standardised procedure which will prevent them from being exploited, and, at the same time, will provide a healthy procedure.(Interruptions)... . First, the Centre will be forming a Board

consisting of 14 Members. Simultaneously, the States will also be having the State Boards and these Boards will consist of administrators and specialists both, and super-specialists also. People think about these Assisted Reproductive Technology to be a test tube baby, but it requires micro-manipulations in-vitro and then implanting the embryo in mother's womb. There are provisions where embryo has to be tested for congenital and genetic disorders.(*Interruptions*)... . Fixing the age of the parents to the maximum of 45 and 55 also amounts to a partial eugenics because there are reports that even the ladies at 70 can conceive and deliver. Now, these eugenics need to be looked into because we need not produce diseased children. Eugenics has been practised even in Haryana by khap panchayats which prevents marrying in close relations. That is why Haryana has produced the maximum number of healthy people and athletes and our share of medals in Olympics, Commonwealth and Asian Games has been high.

The ART methods will be ethical. I would like to highlight that the Bill has a slew of advantages. This Bill provides for safe and ethical ART methods. The doctors will be allowed to test, thus preventing any genetic disease. Also, this Bill will establish regulatory boards at the State and national level. India is a world leader in ART methods and there is mushrooming of ART clinics to the tune of 2,000 clinics in the country. The industry is currently expanding by 18 to 19 per cent and market value is expected to touch INR 25 billion. I would like to highlight that only one per cent of the infertile couples come forward for treatment and this Bill will help in removing the stigma and will be of great help. It is important to note that currently, 50 per cent of the IVF cycles are performed in India by unorganised clinics. I would like to point out to the Chair that this increases the risk, and this Bill will go a long way in minimising this. Currently, no regulations are in place and the entry barriers are low. Hence, this Bill is absolutely necessary to bring regulation and ensure that norms are met.

I would like to highlight another angle, which is economic. India is a hub for medical tourism and hence this Bill will provide regulations. This will offer numerous benefits such as economies of scale, promotion, branding and fair pricing, etc., combined with high quality of care and service. It is a huge opportunity for the medical tourism sector and we will become a global leader.

Now, about the Surrogacy Bill, I would like to say that bringing the Surrogacy Bill along with the ART Bill is another very scientific step by the Government and regulating the surrogate mothers, making it altruistic, permitting near family relations to be surrogate and, as recommended by the Standing Committee and the Select Committee, even the near relation restriction has also been removed. Insurance and medical expenses have been permitted. Still, I feel that for the poor people, to be

surrogate mothers, some more compensation should be offered. I support this Bill. Thank you, Sir.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you, D.P. Vats ji. Now, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, before I start, let me take your permission to speak for a little more time than allotted.

Sir, on 4th December, 2020, the Express News Service carried an article 'Pregnant woman ends life over fear of childbirth in Andhra Pradesh'. It said, "A 24-year old pregnant woman allegedly died by suicide by jumping into a well due to tokophobia". Sir, tokophobia is a new disease, which basically means fear of conceiving or giving birth to a child. So, a situation in which a lady, who may be fertile, who may be able to conceive but is afraid to deliver or conceive, is called 'tokophobia'.

Sir, the term 'infertility' in the Surrogacy (Regulation) Bill means the inability to conceive after five years -- now, it has been reduced to one year -- of unprotected coitus or other proven medical condition preventing a couple from conception. A similar definition is also there in the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill.

Now, the point is whether this kind of psychological or mental condition, which does not show up or which may not get detected easily, that is, tokophobia is covered under the meaning of 'infertility'. I would request the Minister to clarify this issue. In case, it is included, I would be grateful to him, and, if it is not, I would request the Minister to consider including particular condition in the definition of the term 'infertility' in both the Bills.

Now, I come to certain other aspects which show as to how the Bill has been very narrow in the definition of the term 'couple'. It only includes heterosexual relationship of a marriage or live-in relationship. But what happens to unmarried couples, what happens to LGBTQ communities. Sir, there are many countries like Australia, Nepal, New Zealand, Saudi Arabia which allow ART treatment to be offered to both single men and women. In Israel, only single or homosexual women but not men are allowed to receive ART treatment. In Vietnam, only single women but not men from the same country are allowed to receive the ART treatment.

So, I think, the Supreme Court judgement of 2016 in *Devika Biswas v Union of India* actually recognizes the right to reproduction as an important component of the right to life under Article 21. Therefore, restricting the ART and surrogacy only to heterosexual relationships would be probably violative of Article 21. These restrictions also agitate against the concept of right to equality under Article 14.

So, through you, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to request the hon. Minister to widen the scope of 'couple' so that more people are benefited. In so far as recommendations of the Select Committee are concerned, I must congratulate the Government and the hon. Minister for accepting most of the recommendations thereby making both the Bills robust. Still, there are some differences. For example, the Bill lacks proportionality in penalising offences. The same punishment of minimum eight years of imprisonment has been prescribed for serious offences as well as for any contravention of provisions of the said Bill or the Rules made therein. So, the proportionality of linking the punishment to the offence probably needs to be relooked and revisited. Sir, there is another point relating to ICMR guidelines. It permits single women to benefit from ART and also provided for minimum physical requirement for ART clinics, essential qualifications for ART teams and ART procedures. *...(Interruptions)...* But these are missing from both the ART Bill as well as the Surrogacy Bill.

Lastly, I would like to say that the definition of 'abandoned child' includes physical mental defect or infirmity or being more than one in number, excluding sex of the child among the same. In this aspect, the Bill does not address the plight of such surrogate child found non-genetically connected with either of the parents post birth due to mishaps arising out of switching or swapping of donated frozen gametes of couples in clinics or labs or sperm banks, which is statistically possible. The Bill is unclear if such a surrogate child will be allowed to be taken care of or will not be declared as abandoned or rejected or left in adoption home or orphanage. The Bill needs to address this issue.

The last point which I would like to make is about sex selective surrogacy or family balancing surrogacy to have child of a pre-determined sex. *...(Interruptions)...* I know that this is already prohibited under the existing regulations. But I think both these Bills could actually look at it, instead of completely ignoring the trafficking or sale or abduction of surrogate child. That could have found a mention to strengthen the existing provisions. *...(Interruptions)...*

At the end, I would like to compliment the Government for bringing both the Bills together and in consonance with most of the recommendations given by the Select Committee. *...(Interruptions)...* I support both the Bills. Through you, Sir, I

request the hon. Minister to consider widening of the definition of 'couple' looking at the definition of infertility by giving an explanation to proviso to include Topophobia, which is a mental disorder, and it cannot be generally seeable or it cannot be seen normally in the physical eye even by doctors. ...*(Interruptions)*... But the families suffer for lifelong. And it sometimes results in death of the woman also. ...*(Interruptions)*... I am saying this because representations were received by me from five different areas in the country to talk about this, which was beyond my knowledge initially. Therefore, I had talked to the hon. Minister about this. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you Amarji. Next speaker is Shri Sushil Kumar Gupta; not present. Now, Shri Ajit Kumar Bhuyan.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : कृपया कोई भी आपस में बात न करे। ...*(व्यवधान)*...

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: The Surrogacy (Regulation) Bill, 2020, with its proposal to ban commercial surrogacy is yet another example of how out-of-touch with ground realities our lawmakers are! ...*(Interruptions)*... It puts a complete ban on commercial surrogacy and allows only 'ethical', altruistic surrogacy by virtue of being non-commercial, altruistic surrogacy presumed to be 'ethical'. ...*(Interruptions)*... In the name of regulating surrogacy to curb the exploitation of surrogates and of children born through surrogacy, what this Bill, in fact, does is curtail the rights of women surrogates. ...*(Interruptions)*... Here, the basic but flawed assumption is that by removing the 'commercial' component, exploitation will be curbed. ...*(Interruptions)*... Thus, the solution provided is to move towards 'ethical', altruistic surrogacy where a surrogate, who has mandatorily to be a married woman with a biological child or her own, must be a close relative -- this term is not defined further -- of the intended couple and provide surrogacy service free of cost. Given how much pressure families exert even for traditional pregnancy, does the Government really expect that women won't be forced into being surrogates against their will?*(Interruptions)*... . There is no recourse left against such coercion and family violence in the Bill.*(Interruptions)*... .

As per the Bill, the child must not be a genetic descendant of the surrogate. Even though she is fertile, the surrogate may not undergo much simpler artificial insemination but will have to go through a complex medical procedure like embryo transfer meant for those who are unable to carry a pregnancy without intervention.(*Interruptions*)... . In other words, women must undergo all the trials and tribulations of highly invasive medical procedure purely out of love and compassion.(*Interruptions*)... .

It prevents the surrogates from getting paid for their labour.(*Interruptions*)... . When everyone else involved in the process gets paid for what they do, why expect just women to be altruistic about it?(*Interruptions*)... Is this not exploitation in itself?(*Interruptions*)... Why force women alone to carry the burden of altruism? ...(*Interruptions*)... .

While the Bill takes away the agency of women to decide whom they might wish to be surrogates for, it also excludes many persons from accessing surrogacy services by saying that such services will only be available to Indian married couples who have been married for over five years and do not have a child of their own.(*Interruptions*)... .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seat.(*Interruptions*)... . You are a senior Member.(*Interruptions*)... We are discussing an important Bill.(*Interruptions*)... Please go back to your seat.(*Interruptions*)... .

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: This means that all those who are not married whether they are single people or live-in couples or those who cannot get married, trans or queer persons or couples, cannot access surrogacy.(*Interruptions*)... This is highly discriminatory.(*Interruptions*)...

Sir, years of experience shows that blanket bans do not curb but actually increase the exploitation of marginalized persons by creating underground markets.(*Interruptions*)... Instead, if the lawmakers really wanted to end exploitation, they should have provided clear guidelines for taking care of surrogates in terms of their medical and legal rights. ...(*Interruptions*)...

With these words, I oppose the Bill. I think the hon. Minister will look into the matter.(*Interruptions*)... .

Sir, the Opposition has boycotted the House.(*Interruptions*)... I am with

the Opposition. ...*(Interruptions)*... After considering the importance of the Bill, I spoke a few words and now I am walking out.

(At this stage, the hon. Member left the Chamber)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seat.*(Interruptions)*... . It is an important Bill.*(Interruptions)*... हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको और अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया है।

महोदय, ये दोनों ही बिल महिलाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये बिल महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए हैं और भविष्य के भारत से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में, जब ये बिल प्रस्तुत हो रहे हैं, इन बिलों पर चर्चा हो रही है, अगर विपक्ष भी सकारात्मक रुख के साथ सदन में मौजूद होता, इन बिलों पर चर्चा में भाग लेता, अपने विचार प्रकट करता, तो शायद उसके माध्यम से इस देश की ज्यादा बेहतर सेवा हो सकती थी। महिलाओं की दृष्टि से भी यह उनका सकारात्मक योगदान होता, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष नदारद है, जो विपक्ष की महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उन महिलाओं के प्रति विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, महिलाओं के भविष्य और महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में विपक्ष क्या राय रखता है, यह उनके आचरण के द्वारा स्पष्ट होता है। महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक में महिलाओं की दृष्टि से जितने भी आवश्यक प्रावधान हैं, वे सारे के सारे प्रावधान इसमें किये गये हैं। यह अपने आप में एक सम्पूर्ण विधेयक है और हर पहलू पर बड़ी बारीकी से विचार करके उन पहलुओं का इसमें समावेश किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत जो सहायता प्राप्त एआरटी बिल है और सरोगेसी बिल के संदर्भ में जो एक राष्ट्रीय बोर्ड की कल्पना की गई है, उस राष्ट्रीय बोर्ड के क्या कर्तव्य होंगे, उस राष्ट्रीय बोर्ड की क्या शक्तियां होंगी, वह राष्ट्रीय बोर्ड किस तरीके से गठित होगा, राष्ट्रीय बोर्ड के मेम्बर बनने वाले जो सदस्य हैं, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, निरर्हताएं क्या होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी बोर्ड की कल्पना की गई है और इन सारी बातों का राज्य स्तरीय बोर्ड में भी समावेश किया गया है। ये बोर्ड सरकारों को सलाह देंगे और सम-सामयिक परिस्थितियों पर इस विषय से संबंधित मार्गदर्शन देंगे। समय-समय पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन के आधार पर सरकारें नये कानून भी बना सकती हैं, नये नियम भी बना सकती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अवसर रहेंगे।

महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत एक रजिस्ट्रीकरण संस्था की भी कल्पना की गई है। उस रजिस्ट्रीकरण संस्था के माध्यम से जो ऐसे clinics हैं अथवा बैंक्स हैं, जहां पर भ्रूण का विकास होता है, जहां डिम्ब रखे जाते हैं अथवा शुक्राणु रखे जाते हैं, उन पर भी नियंत्रण हो सकेगा, उनको भी एक रेगुलेशन में बांधा जा सकता है। जब उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रहेगी तो

भविष्य में जनसांख्यिकीय दृष्टि से देश के सामने कोई समस्या खड़ी न हो, उस पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जा सकेगा।

महोदय, इस विधेयक में जो सबसे बड़ी बात है, जिसका मैं विशेष रूप से पक्षधर हूँ और जिसके लिए मैं विशेष रूप से इस विधेयक पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वह यह है कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जब एआरटी की सहायता से बालक उत्पन्न होगा तो उसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि हमारा देश अनेक प्रकार की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ देश है और इसके कारण हमारे देश में जो बालक हैं, बालिका की तुलना में उनकी चाह दंपतियों में अधिक रहती है और उसके कारण हमारे देश के अनेक प्रांतों में जो लिंगानुपात है, वह गड़बड़ा गया है। इसलिए इस विधेयक में लिंगानुपात बरकरार रहे, लिंग परीक्षण न हो, इसके प्रावधान किये गये हैं, जिसके कारण भविष्य में जो बालिका शिशु है, उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकेगा।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seats.(Interruptions)... It is an important Bill.(Interruptions)...

श्री अजय प्रताप सिंह: उसे भी संरक्षण मिलेगा, इसीलिए मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हूँ। इस विधेयक में एआरटी की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है, सरोगेसी की सुविधा दी गई है, लेकिन यह व्यापार न बन जाए और समाज का जो नैतिक पक्ष है, वह नैतिक पक्ष बना रहे। महोदय, भारत नैतिकता प्रधान देश है, भारत कोई यूरोप नहीं है, भारत कोई अमरीका नहीं है, भारत कोई अफ्रीका नहीं है कि यहां हम नैतिकता को ताक पर रखकर केवल एकपक्षीय विचार करके कानून बना दें, इसलिए यहां पर ये प्रावधान किये गये हैं कि यह व्यापार न बने और साथ-ही-साथ समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की रक्षा भी हो सके। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो एआरटी की सुविधा है, वह कोई महिला एक बार ही ले सकती है। अगर वह बांझ महिला है और उसे संतान की इच्छा है तो संतान की इच्छा पूर्ति के लिए यह जो प्रावधान है, वह इस प्रावधान का उपयोग तो कर सकती है, परंतु इसका व्यापार नहीं कर सकती। इसके व्यापार के माध्यम से वह कोई धन अर्जित नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो सरोगेसी का बिल है, इस बिल में भी इस तरीके से प्रावधान किये गये हैं। इसलिए इस बिल के माध्यम से जो भारत और भारतीयता की रक्षा हो रही है, नैतिकता की रक्षा हो रही है, इस कारण से भी मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हूँ और इसके समर्थन में बोल रहा हूँ।

हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत परिवार है। परिवार स्त्री और पुरुष के युग्म से बनता है। जब वे संयुक्त रूप से इकट्ठे रहते हैं, तब परिवार की संरचना होती है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You are a very senior Member.(Interruptions)... Please go back to your seat.(Interruptions)...

श्री अजय प्रताप सिंह: विगत समय में हमारी संस्कृति को अनेक दृष्टिकोणों से धक्का पहुँचा है, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया है और जो 'परिवार' संस्था है, उसका

मखौल उड़ाया गया है, लेकिन इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि हम किस तरीके से 'परिवार' संस्था की गरिमा बनाये रख सकें, 'परिवार' संस्था के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को बनाये रख सकें। इस तकनीक के माध्यम से जो बालक उत्पन्न होंगे, उनके अधिकारों के बारे में भी इस विधेयक में चिन्ता की गयी है। इससे जो बालक उत्पन्न हो रहे हैं, भविष्य में समाज के अन्दर उनके जो अधिकार हैं, उनके सामाजिक अधिकार क्या होंगे, उनके भूमि के अधिकार क्या होंगे, उनके वित्तीय अधिकार क्या होंगे, इसको भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और एक सामान्य बालक जिस तरीके से समाज के अन्दर पलता है, उसे पाला-पोसा जाता है, वह बड़ा होता है, उसी तरीके से इस बालक को भी ये अधिकार भी प्राप्त होंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय प्रताप सिंह: कहीं यह बालकों का व्यापार भी न बन जाये, क्योंकि यह विज्ञान का युग है और विज्ञान अनेक क्षेत्रों में बराबर दस्तक दे रहा है, दखल दे रहा है। इसके कारण जहाँ एक तरफ मानव जाति लाभान्वित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मानव जाति के समक्ष कई तरह के संकट भी खड़े हो रहे हैं। बीच में ऐसा भी चलन चल पड़ा था कि दम्पति अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा चाहते थे कि उसकी आँखें कैसी हों, उसकी नाक कैसी हो, उसका बौद्धिक विकास कैसा हो, उसका शारीरिक गठन कैसा हो, हम उसमें कौन से ऐसे आनुवांशिक गुण डालें और उस तरीके का एक सुपर ह्यूमन जैसा बच्चा उनके पास इस तकनीक के माध्यम से आये। इस तरीके से जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करने लगते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो भविष्य में उसके बड़े भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसकी भी रोकथाम करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है। इसलिए इन सारे बिन्दुओं पर विचार करते हुए, मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, thank you for allowing me to speak while supporting this Bill. We all understand that this Bill is to regulate fertility treatment, allow safe and ethical use of A.R.T. and protect women and children from exploitation.

I would like to underline and tell today that India is a global fertility industry with medical tourists flocking in the country for a variety of reasons. At this juncture, for the safety and security of the women, the Government has well thought about it, and the Ministry intends to give benefits through this Bill so that it helps the women of this country with security. Especially, Sir, I would say two-three points and support this Bill, namely, to register all A.R.T. clinics and banks, improve quality of A.R.T. services, decrease the cost of assisted reproduction treatment, control unethical assisted reproductive technology practices including gamete donation, which was a must, and which the Minister has spotted out very clearly. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.K. VASAN: Then, conduct research on new emerging areas of assisted reproduction and develop low cost Assisted Reproductive Technology economically which is the need of the future for the middle class and the poor. Medical tourism would have more assurance about the ethical practice in India. I am sure, Sir, this Bill is the need of the hour and would help women in their safety and security. I support this Bill and congratulate the Minister and his Ministry. Thank you.

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज हमारे मंत्री जी द्वारा जो सरोगेसी के रेगुलेशन का बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान का बराबर ध्यान रखा है।...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back.*(Interruptions)*... . Nadimulji, please.*(Interruptions)*... .

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उनके समर्थन में कुछ कहना चाहती हूँ। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seats.*(Interruptions)*... . Nadimulji, please.*(Interruptions)*... . Go back to your seats.*(Interruptions)*... .

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों से भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिए सरोगेसी के केन्द्र के रूप में उभरा है। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seats first.*(Interruptions)*... .

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, समय-समय पर अनैतिक व्यवहार और सरोगेट माँओं के शोषण, सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाली संतानों के परित्याग और ...(व्यवधान)... इस तरह की भी घटनाएं प्रकाश में आई हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): It is an important Bill.(Interruptions)... . We are discussing an important Bill.(Interruptions)....

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत की व्यापारिक सरोगेसी की व्यापक भर्त्सना हुई है, जिसकी जानकारी विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने आई है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): पूरा देश देख रहा है कि आप इस important Bill को इंटरप्ट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सरोगेसी के विनियमन के लिए कोई कानून न होने के कारण सरोगेसी पद्धति का सरोगेसी क्लिनिकों ने दुरुपयोग किया है जिससे व्यापारिक सरोगेसी और सरोगेसी के क्षेत्र में अनैतिक व्यापार की घटनाओं में बेरोक-टोक बढ़त हुई है। ...(व्यवधान)...महोदय, हमारा शास्त्र भी कहता है कि हमें पितृ ऋण से उत्तरण होने के लिए संतान की आवश्यकता पड़ती है। हमारी वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए भी हमें संतान की आवश्यकता पड़ती है। संतान की आवश्यकता हमारे धर्मों में है, शास्त्रों में है और सब जगहों पर है। महोदय, यह जो बिल आया है, यह बिल बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर आया है। समाज में उन महिलाओं को बड़े भाव से देखा जाता है, समाज उनकी बहुत उपेक्षा करता है। जो महिला माँ नहीं बन सकती, जो बांझपन की शिकार होती हैं, ऐसी महिलाओं के साथ भी समाज में बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका उचित सम्मान नहीं किया जाता है। यह जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया है, यह कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिषेध करता है और निःस्वार्थ सरोगेसी को अनुमति देता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे इसको एक business बना लें और इस माध्यम से बच्चे पैदा करके पैसा कमायें, लेकिन सरकार की जो मंशा है, वह यह है कि परोपकार की भावना से सरोगेसी के द्वारा बच्चे को पैदा किया जाए। सरोगेसी के लिए उनको अनुमति है जो भारतीय नागरिक हैं, जो बच्चा न पैदा कर सकती हों, जिनको गंभीर दिक्कतें हों, बीमारियों के कारण जिनका गर्भाशय निकाल दिया गया हो अथवा fibroid होने के नाते वे बच्चा पैदा न कर सकती हों, जिनकी शादी हुए 5 वर्ष हो चुके हों और जिनमें महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष के बीच हो और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष की उम्र हो, ऐसी माँ सरोगेट माँ का बच्चा ले सकती है। जो सरोगेट माँ बन सकती है, उसके लिए भी बहुत तगड़ा नियम-कानून है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने उसने अपने पेट में उस बच्चे को रखा और जब बच्चे को देने की बारी आई तो वह कह दे कि मैं बच्चा नहीं दूंगी, मुझे उसका मोह हो गया है, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगी, और बाद में बच्चा देने के बाद वह objection कर दे कि इसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, इस प्रकार की दिक्कतें न आयें, इन सबको ध्यान में रखकर हमारा यह कानून बनाया गया है और इस कानून में सख्त-से-

सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है, उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि जो सरोगेट माँ बनना चाहती है, उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसे निकट का रिश्तेदार होना चाहिए। उस बच्चे का कोई परित्याग न कर सके, उसको समस्त अधिकार प्राप्त हों, ऐसा प्रावधान हमारे बिल में लाया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि सरोगेसी के लिए राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड का गठन करना, सरोगेसी की इच्छा रखने वाले ऐसे भारतीय विवाहित दंपति जो परोपकार की भावना से सरोगेसी करना चाहते हैं, उनको अनुमति देना, सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दम्पति कम-से-कम 5 वर्ष से कानूनी रूप से विवाहित होने चाहिए, सरोगेसी या सरोगेसी की प्रक्रियाओं को करने के लिए उनको भारतीय नागरिक होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें की गयी हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please go back to your seats.(Interruptions)... . Please.(Interruptions)...

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह बिल यह भी उपबंध करता है कि इच्छुक दंपति, सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): हम महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... Please.(Interruptions)...

श्रीमती सीमा द्विवेदी : सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान को वे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो जैविक संतान को उपलब्ध हैं। सरोगेट माँ, सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दंपति की निकट संबंधी होनी चाहिए। वह महिला पहले से विवाहित होनी चाहिए, जिसकी अपनी संतान हो और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा उपबंध यह है कि वह एक बार ही सरोगेट माँ बन सकती है, उसे दोबारा सरोगेट माँ बनने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)...

3.00 P.M.

राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड के गठन का जो प्रावधान है, वह अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सरोगेसी बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है, जो संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समान कृत्यों का निष्पादन करेंगे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक या अधिक समुचित प्राधिकरणों की स्थापना करने के जो प्रावधान हैं, वे अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करेंगे।...(व्यवधान)...

महोदय, मैं इस बिल की प्रशंसा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस बिल के आ जाने से महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। ऐसी महिला, जो इस काम को

करती है, जो सरोगेट मदर बनना चाहती है, ऐसी बहनों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि सरकार इससे संबंधित कानून के लिए जो यह बिल लेकर आई है, जिस पर आज यहाँ पर बहस हो रही है, इसके बन जाने से समाज के वे लोग, जो इसको व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, जो अनधिकृत रूप से अपने क्लीनिक खोल करके ऐसा काम कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर पाएँगे।...(व्यवधान)...यह बिल हिन्दुस्तान की उन महिलाओं के लिए वरदान बन कर आया है, जो कभी माँ नहीं बन सकतीं, जिनका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। इस बिल के माध्यम से ऐसी महिलाओं का भी सपना पूरा हो सकता है। यह बिल उनके सपनों को भी चकनाचूर करेगा, जो इसके माध्यम से अनधिकृत रूप से पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को भी सरकार चिन्हित करेगी और उन्हें सजा देगी। इस बिल में इसके लिए जो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, इस संबंध में मेरी आपसे यह अपील है कि इसके लिए इससे भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि जो इसका दुरुपयोग करें, उन पर कठोर-से-कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो।...(व्यवधान)...

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, सरकार को धन्यवाद देती हूँ और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जो तरह-तरह के नियम और कायदे-कानून लाने का काम किया है, उनसे हिन्दुस्तान की सभी महिलाओं का मार्गदर्शन हुआ है, सभी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Next speaker is Dr. Vikas Mahatme.(Interruptions)... . Please go back to your seats.(Interruptions)...

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं शुरुआत में ही आदरणीय मंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि हम सबकी जो एक माँग थी कि ART Bill और Surrogacy Bill, दोनों एक साथ लाए जाएँ, इस माँग को इन्होंने पूरा किया है। यह बहुत जरूरी था क्योंकि अगर ये दोनों बिल्स साथ-साथ आएँ, तो इनका implementation आसान होगा। यह काम बहुत अच्छा हुआ है।...(व्यवधान)...मैं शुरु में ART Bill के बारे में बताना चाहूँगा। हम Assisted Reproductive Technology का उपयोग infertility के लिए ही करते हैं - जिनको बच्चा नहीं होता है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें sperm और ovum, दोनों का technology के माध्यम से एक ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके माध्यम से गर्भ धारण करने की संभावना बढ़ाई जाती है या pregnancy की संभावना बढ़ाई जाती है। इसके माध्यम से infertility की treatment हो सकती है।...(व्यवधान)...

सर, भारतवर्ष में जो ऐसे couples हैं, जिनको बच्चा नहीं होता है, उन्हें इसका बहुत दुख तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ ही समाज के लोग उनको एक कमी की दृष्टि से देखते हैं, खास करके महिलाओं की तरफ और उन्हें इसके लिए मानसिक पीड़ा भी रहती है। उनकी यह परेशानी कम हो, इसके लिए यह ART की सुविधा बहुत important है।...(व्यवधान)...यह ART

भारत में सभी जगह चल रही है, लेकिन इसके लिए कोई regulation नहीं था, इसलिए इस बिल के माध्यम से उसको regulate किया जा रहा है। जरूरत और मानसिकता से जुड़े होने के कारण, भारत में infertility एक बहुत बड़ा business बन गया है। यह बिज़नेस बढ़ रहा है। इसके साथ ही इसकी कुछ परेशानियाँ भी हैं, जैसे कि इसमें safety का अभाव है। जो donors हैं, वे पैसे के लालच में ज्यादा बार egg donate करना चाहते हैं, ऐसे में वे खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। उनको बार-बार hormone stimulation दिया जाता है, इससे long term effects हो सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा के अभाव को इस बिल में अच्छी तरह से tackle किया गया है और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।...(व्यवधान)...इस बिल के रहने से उनका शोषण नहीं होगा। इसमें जो अनैतिकता बढ़ रही थी, ethical practice नहीं हो रही थी, जैसे कि gender determination होता है, मैं 'sex determination' नहीं बोलूँगा, क्योंकि gender determination better word है।...(व्यवधान)... यह जो gender determination होता है, ART में इसमें वह हो सकता है और उसका उपयोग पैसे के लालच के लिए हो सकता है। ...(व्यवधान)...अभी हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया था कि उन्होंने खुद देखा है कि किसी को नीली आँख वाला बच्चा चाहिए, blue-eyed boy या girl चाहिए, खास तौर से इसके लिए जो कुछ ऐसे actor-actresses हैं, जिनकी ज्यादा पहचान नहीं है, उनका egg purchase करने तक की capacity रखने वाले भी होते हैं।...(व्यवधान)...महोदय, ये सब unethical practices हैं और जिनको बंद करने के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं, इसलिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूँगा। ...(व्यवधान)...यह जो gender determination किया जाता है, इसके लिए punishment का भी प्रावधान है। ...(व्यवधान)...यह सब implement करने के लिए National Board है, State Board है और उसकी प्रणाली भी काफी सशक्त है, जिसके जरिए इस बिल में जो भी rules-regulations तय हो रहे हैं, बिल में जो भी clauses हैं, वे अच्छे तरीके से implement होंगी। ...(व्यवधान)...मेरे इसमें कुछ सुझाव भी हैं, जिनमें सबसे important यह है कि एक intrauterine insemination (IUI) है, जो infertility के treatment का part है, अर्थात् जब गर्भाशय में sperms जाने में परेशानी रहती है, तब गर्भाशय में sperms directly inject किए जाते हैं। ...(व्यवधान)...यह बहुत ही simple procedure है और सभी gynaecologist इसे करते हैं। ...(व्यवधान)... यदि हम इसे भी एआरटी में लाते हैं, तो इससे परेशानी यह होगी कि gynaecologists के जितने भी clinics हैं, वे सभी ART के तहत register करने पड़ेंगे और फिलहाल हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रणाली न होने की वजह से यह simple procedure, जो clinic में होता है, ओपीडी में ही किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा technology का भी use नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका उपयोग एआरटी बिल के बाहर रहना चाहिए। ...(व्यवधान)...यह हम अपने rules-regulations के जरिए कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...ऐसे ही इसमें एक clause है, जिसके अनुसार हम ovary से सात follicles, या हम इसे अंडा बोल सकते हैं, से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ...(व्यवधान)...यह बहुत जरूरी था कि इसका misuse न हो, ovary stimulate करने के लिए महिलाओं को बार-बार hormones न देने पड़ें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान)...लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ovary stimulate करते हैं, तब सात से अधिक 10, 15 या 20 अंडे भी तैयार हो जाते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ...(व्यवधान)...अगर ये तैयार हो गए और हम इनमें से सात अंडे ही बाहर निकालेंगे, तो बाकी अंडे ovary के अंदर ही रहेंगे और इससे Ovarian Hyperstimulation

Syndrome (OHS) होने की संभावना होगी, यानी हमारे बिल के इस clause की वजह से शायद हम OHS की बीमारी बढ़ा सकते हैं, इसलिए मेरा यह मानना है कि clause वैसे ही रहे, लेकिन सात के ऊपर जितने भी follicles हैं या अंडे हैं, उन्हें बाहर निकालकर freeze करने के लिए बैंक में भेजा जाए, ताकि महिला को Hyper stimulation of ovaries की बीमारी न हो। **...(व्यवधान)...** इसमें तीसरी बात यह है कि जब हम एआरटी में embryo या गर्भ तैयार करते हैं, तब कभी-कभी वे एक के बजाय दो, तीन या चार तैयार हो जाते हैं। **...(व्यवधान)...** यदि हम इन्हें कम न करें, तो जैसे आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक महिला ने सात बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे बच्चे बहुत ही weak होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम इसमें fetal reduction का मामला भी include करें। इसमें दो से ज्यादा जितने भी गर्भ या embryo हैं, उन्हें निकाला जाता है, ताकि एक ही बार में तीन, चार या पाँच बच्चे न हों। **...(व्यवधान)...** मुझे लगता है कि इसमें इसे भी include करना जरूरी है। मुझे पता है कि हमारा मकसद यह है कि जो भी डॉक्टर्स unethical practice कर रहे हैं, उनको punishment हो, लेकिन काम करते वक्त कई बार clerical mistakes भी होती हैं। जैसे, कई बार जब कोई महिला या पुरुष पेशेंट के रूप में आता है, तो वह कहता है कि वह married है, लेकिन ऐसा मुश्किल है कि उससे हम शादी का सर्टिफिकेट माँगें, यहाँ कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है? पेशेंट के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं रहता है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास करके ही लिखा जाता है और उसमें clerical mistakes भी होती हैं। मैंने कई बार यह देखा है कि कोर्ट का जो जजमेंट होता है, उसमें भी काफी सारी clerical mistakes रहती हैं। **...(व्यवधान)...** हम clerical mistakes के लिए भी उनको एक बार चेतावनी दें कि ऐसा यदि अगली बार भी होता है, तो फाइन होगा। आप उस फाइन को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकी कठोर पनिशमेंट्स की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। Minor clerical mistakes के लिए unnecessarily किसी को डराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। **...(व्यवधान)...** ये सारी बातें मैंने एआरटी बिल के लिए बताई हैं। **...(व्यवधान)...** इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं, वे सभी अच्छे तरीके से कवर की गई हैं। यहाँ बैठे सभी लोग यह बिल पास करने के लिए 'हाँ' बोलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। **...(व्यवधान)...**

इसी तरीके से, जो दूसरा बिल है, वह सरोगेसी बिल है। सरोगेसी बिल पर कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन तीन या चार ऑनरेबल एमपीज़ ने कई बार यह बताया कि इस बिल में केवल close relative ही surrogate mother हो सकती है, साथ में उन्होंने बाकी अन्य बातें भी बताईं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नया अमेंडमेंट आया है, वह सरोगेसी बिल-2020 है। बहुत सारे Members of Parliament एवं बाहर भी लोगों को सरोगेसी बिल-2019 दिया गया है, जिसमें वे अमेंडमेंट्स नहीं हैं, जो सेलेक्ट कमिटी ने बताए थे और उसी पुराने 2019 के बिल के बारे में चर्चा हुई है। **...(व्यवधान)...** मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि हम इतना अच्छा बिल करैक्ट करके लाए हैं और वह मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी नहीं है, इसलिए लोगों तक सही बिल पहुँचे, सही कानून पहुँचे, इसके लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी वर्ष 2020 का बिल रहना जरूरी है, ताकि जो कन्फ्यूजन यहाँ Members of Parliament को हुआ है, वह किसी और को न हो। **...(व्यवधान)...**

दूसरी बात यह है कि मैं इस बिल के लिए अभिनन्दन करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे मंथन के बाद यह अमृत निकला है। इस बिल के बारे में पहले Standing Committee ने बताया था, फिर बिल बनाया गया। इसके बाद, यह बिल लोक सभा से पास हुआ और फिर राज्य सभा में आया।

उसके बाद, यह बिल राज्य सभा से सेलेक्ट कमिटी में गया। ...**(व्यवधान)**...मुझे यह बताते हुए खुशी है और मेरा यह सौभाग्य भी है कि मैं उस सेलेक्ट कमिटी में था। सेलेक्ट कमिटी के जितने भी सुझाव थे, वे पूरी तरह से अपनाए गए हैं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूँगा। ...**(व्यवधान)**... इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि commercial surrogacy को गैर-कानूनी बताया गया है और उस पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार, पहले जो शोषण होता था, महिलाएँ पैसों के लालच में एक-दो बार नहीं, बल्कि तीन-चार बार surrogate mother बनना चाहती थीं, तो उसे भी बन्द किया गया है। अब महिला अपने पूरे जीवन-काल में केवल एक बार ही surrogate mother बन सकती है।

पहले यह कहा गया था कि surrogacy के लिए केवल close relative ही चाहिए, तो अब इसमें ऐसा अमेंडमेंट हो गया है कि इसमें close relative की जरूरत नहीं है, बल्कि अब कोई भी महिला surrogate mother बन सकती है - यह प्रावधान भी इसमें किया गया है। ...**(व्यवधान)**... इस बिल में altruistic या दूसरे के हित के लिए, परोपकार के उद्देश्य से surrogacy की इजाजत दी गई है। यहाँ पर जितने भी rules and regulations हैं अथवा registration करना है, तो उसके लिए पहले यह प्रावधान था कि कोई भी medical practitioner बोर्ड मेम्बर बन सकता था, लेकिन अब उसमें दो Obstetrician and Gynecologist भी रखे गए हैं। ...**(व्यवधान)**...यानी, proper representation of Obstetrician and Gynecologist is also there. यह एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। उसके लिए National Board है, State Board भी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह सभी भारतीयों के लिए है। उसी तरह से एनआरआई या persons of Indian origin या overseas citizens of India, इन सबको भी सरोगेसी का लाभ मिल सकता है। ...**(व्यवधान)**...यह इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लोग भारत से जुड़े रहें, इसके लिए यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है, ताकि बाहर गए हुए लोग भी भारत से हमेशा जुड़े रहें। ...**(व्यवधान)**...इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, उनमें एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट यह है कि जो महिला सरोगेट मदर है, उसका insurance coverage पहले कम था, अब उसका insurance coverage 36 months करने का प्रावधान किया गया है, जिसके ज़रिए यदि गर्भधारणा के दरमियान या गर्भधारण की वजह से बाद में उसको कोई बीमारी होती है, तो उसे पूरी तरह से इस insurance coverage में cover किया है, ताकि उस महिला का शोषण न हो और उसकी सेहत की पूरी देखभाल हो। ...**(व्यवधान)**...महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि close relatives का column अभी हटाया गया है। अभी बात हुई कि इसमें एलजीबीटी या single male, अकेला पुरुष, surrogacy द्वारा child adopt नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति में विवाह के बाद ही परिवार की संकल्पना है, इसलिए जो married women हैं, लेकिन उनका divorce हो गया है या विधवा महिला है, वे भी इस बिल का लाभ ले सकती हैं। लेकिन अकेला पुरुष या एलजीबीटी लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में 'विवाह के बाद ही परिवार' इस संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इस बात को समझ लें कि हम ऑस्ट्रेलिया या अन्य पाश्चात्य देशों से अधिक भारत का विचार कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं आखिर में यह कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग माँ-बाप बनने का सुख चाहते हैं, इसका अनुभव काफी लोगों को है कि माता-पिता बनना बहुत सुखदायी है। मेरा यह कहना है, it is said that child gives birth to mother. कोई भी महिला माँ कहलवाने के लिए बहुत आतुर

रहती है, उसके कान तरसते हैं। इस बिल के ज़रिये माननीय मंत्री महोदय ने इस सुख का अनुभव सभी infertile couples को देने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनको तहे-दिल से धन्यवाद देता हूँ और इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब से वे सरकार में आए हैं, तब से वे किसी-न-किसी बहाने महिलाओं का समर्थन हमेशा ही करते रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो यह बिल आया है, वह बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी बिल है। जो माँ-बाप बच्चे से वंचित रह जाते हैं, यह उनके लिए बहुत ज़रूरी बिल है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लाए गए इन दोनों बिलों का मैं समर्थन करती हूँ, साथ-ही मैं यह व्यवहार में देखना चाहती हूँ कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया के संदर्भ में हमारी जो भी व्यवस्था की जा रही है, इस व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और बहुत ही दूरदर्शी भावना से देखते हुए लागू करना पड़ेगा। मैं यह जानती हूँ कि जो बहन माँ नहीं बन पाती है, उसको कितना दुख और कष्ट सहना पड़ता है, चाहे परिवार में हो, पड़ोस में हो, गाँव में हो, मुहल्ले में हो या शहर में हो - कहीं भी हो, उसको इस दर्द का सामना करना पड़ता है। हम सब यह जानते हैं कि कई जगह तो उस बहन को छोड़ दिया जाता है, जिस बहन को बच्चा नहीं हो सकता है और उसको बांझ कह दिया जाता है। ऐसी बहन चौराहे में खड़ी रह जाती है, न वह इधर की रहती है, न उधर की रहती है। उस बहन को इस बिल से सम्मान मिलेगा, उसको हर तरह से सम्मान की नज़र से देखा जायेगा-यह सब इस बिल में है।

महोदय, विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरोगेसी बोर्ड का प्रस्ताव है। इस तरह से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर भी सरोगेसी बोर्ड होगा। सरोगेसी की प्रक्रिया और कार्य-प्रणाली के नियमन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। यह कानून कमर्शियल सरोगेसी के लिए उन लोगों पर खरीद-बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाता है, जो लोग मानव भ्रूण की खरीद-बिक्री और व्यापार करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ बहनों को मजबूर किया जाता है या पैसे के अभाव में उनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है-उस पर भी यह बिल प्रतिबन्ध लगाने का काम करेगा।

सरोगेसी सेवा देने वाले जो सरोगेसी क्लीनिक्स हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। वह इसलिए भी है क्योंकि गांवों या कस्बों में पैसे की खातिर कई लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है। उसमें बहुत जगह यह देखा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस बिल के बाद इस पर प्रतिबन्ध भी लगेगा और ऐसी महिलाएं, जो ऐसे क्लीनिकों में जाकर ट्रीटमेंट लेने से बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, उससे भी वे बच सकेंगी। इसी के साथ ऐसे व्यक्तियों को कम-से-कम 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। मंत्री जी, यह महिलाओं के लिए बहुत राहत पहुंचाने वाला बिल है। जो मां-बाप इस उम्मीद में जीते हैं कि हम सरोगेसी से बच्चों को प्राप्त कर सकते हैं और अपना घर भी रौशन कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में कहीं-न-कहीं जो अंधेरा रहता है, उसे अब वे दूर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी को रौशन करने के लिए रोशनी की एक किरण की उम्मीद में वे भटकते रहते हैं। माननीय मंत्री जी, कानून के बगैर सरोगेसी एक अनियमित कमर्शियल पैसा कमाने का साधन तो है ही, लेकिन आपने यह भी जाना होगा कि कई महिलाओं को जबर्दस्ती इसके लिए आगे किया जाता है, इसलिए इसमें

कानून बनाना भी बहुत जरूरी था। आयोग की सिफारिश पर यह प्रस्ताव लाया गया है, जो सरोगेट मां और बच्चे के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ यह बात भी ध्यान देने की है कि जो मां बांझ है, जो इस तरह से बच्चा पैदा करवाना चाहती है, क्योंकि समाज में बांझ होना बहुत बड़ा दंड माना जाता है, उन्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी बहनें, जिन्हें लोग बांझ कहते हैं, यह बिल उन लोगों का भी मुंह बन्द करने का काम करेगा।

महोदय, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगी कि जो राज्य बोर्ड या केन्द्रीय बोर्ड बने, उस बोर्ड के समक्ष दम्पति की जांच होने के बाद ही, यदि उनके अन्दर प्रजनन की उपयुक्तता नहीं है, तभी उनको इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। आज छोटे-छोटे गांवों में भी जगह-जगह पर इस तरह के क्लीनिक्स खुल गये हैं, जहां पर उन्हें इस तरह की सुविधा प्राप्त है, लेकिन उन पर किसी भी तरह की सरकारी निगरानी नहीं है। इस प्रक्रिया में माता बनने वाली बहनें अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं, इसलिए ऐसे क्लीनिकों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। माता बनने वाली बहनें अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। हमें उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरोगेसी बिल के मुताबिक कोई भी महिला अपनी इच्छा से सरोगेट मां बन सकेगी और निःसंतान जोड़े के अलावा विधवा या तलाकशुदा महिला को भी इसका फायदा मिलेगा। यदि कोई महिला विधवा हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि उसके बच्चा न होने पर जबरदस्ती उसकी इच्छा के बगैर उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। वह यह बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है या किसी दूसरी जगह घर नहीं बसाना है, तो उसको कह दिया जाता है कि यदि बच्चा नहीं है, तो अकेले कैसे रहोगी! आज यह बिल ऐसी बहनों को भी समर्पित है। जो बहन विधवा हो जाती है, कम से कम सरोगेसी के माध्यम से वह बच्चा पैदा कर सकती है। जो बहन तलाकशुदा है, यदि वह दोबारा घर नहीं बसाना चाहती है, तो वह भी अपनी मर्जी से सरोगेसी के माध्यम से अपना बच्चा पैदा कर सकेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल में राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि सिर्फ भारतीय जोड़ा ही देश में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए किसी भी जोड़े में शामिल दोनों सदस्यों का भारतीय होना जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बिल में सरोगेट मदर के लिए बीमा कवर की अवधि को 16 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया है। सरोगेट मदर की दिक्कत या परेशानी को दूर करने के लिए इस समय को बढ़ाया गया है, जिससे कि महिलाओं को हर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। इस बिल से पूरी तरह से व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगेगा और प्रचार-प्रसार पर रोक लगेगी। जो चोरी-छिपे इस तरह का प्रचार-प्रसार करते थे कि हमारे यहां सरोगेसी करवाने पर आप लोगों को सुविधा मिलेगी, उसकी वजह से दंपति कहीं-न-कहीं ठगी का शिकार हो जाते थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, नए विधेयक के मुताबिक विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के विवाहित जोड़े और अकेली भारतीय महिला कुछ शर्तों के अधीन सरोगेसी का फायदा उठा सकेगी। जैसा कि पहले भी देखा जाता है कि विदेश से जो दंपति आते हैं, वे यहां सरोगेसी के हिसाब से महिला चुनते हैं, सरोगेट मदर से बच्चा पैदा करवाते हैं और यदि किसी वजह से वह

बच्चा विकलांग पैदा होता है या उस बच्चे में कोई भी दिक्कत होती है, तो वे उस बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं - इस बिल के माध्यम से इन सब पर भी रोक लगेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो बहन अपनी कोख को बेचना नहीं चाहती है, उसको भी हर तरह से आज़ादी मिलेगी। इस पर चौकसी रखने की भी जरूरत है। अगर परंपरागत तरीके से, सही तरीके से देखें, तो बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है, क्योंकि सरोगेसी का इलाज सस्ता नहीं है। हमारे देश में हर तरह के परिवार हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो दोनों को ही इस तरह की समस्या हो सकती है। गरीब परिवार भी बच्चों की इच्छा रखता है। वह यह सोचता है कि सरोगेसी से बच्चा मिल जाए, तो अच्छा रहेगा, लेकिन गरीब आदमी इसका खर्च वहन नहीं कर सकता है, यह कारण गरीब के लिए काफी तकलीफ भरा रहता है। गरीबी में जीने वाली कई ग्रामीण महिलाएं हैं, जो मां नहीं बन सकती हैं, उनको भी इस कानून का फायदा मिल सकेगा। मैं यह सोचती हूं कि आज महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सुख के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज में उनको उचित स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार यह बिल लेकर आई है, मैं इसका बहुत-बहुत समर्थन करती हूं, तहे-दिल से समर्थन करती हूं।

...(व्यवधान)...यह बिल महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिलाने का काम करेगा और उनको हर तरह से सुरक्षा दिलाने का काम करेगा। जिन बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, वे असुरक्षित महसूस करती हैं। इस बात को हम सब जानते हैं कि जिसे बांझ महिला घोषित कर दिया जाता है, उसको घर-परिवार की कोई महिला अपना बच्चा गोद में खिलाने देने को भी तैयार नहीं होती है।

...(व्यवधान)...वे महिलाएं बहुत दुख सहती हैं। वह दम्पति पीड़ा से भरा हुआ रहता है, लेकिन वे अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाते। आज इन सब दुखों को दूर करने के लिए यह बिल आया है। मैं इस बिल का बहुत-बहुत समर्थन करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं कि वे इतना सुंदर और अच्छा बिल लेकर आए हैं। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देती हूं, जिसने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे सामयिक विधेयकों को आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं देख रहा हूं कि इस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्यों ने इन पर बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से इस बिल की तैयारी में जिस तरीके से इसमें विस्तार से चर्चा हुई है, सेलेक्ट कमेटी में और जहां कहीं भी जो संदेह थे, उनका निवारण करने का काम किया गया है।

मान्यवर, वैसे आप जानते हैं कि 2005 में Indian Council of Medical Research ने सरोगेसी को कैसे regularize किया जाए, इस संबंध में सबसे पहले चर्चा करने का काम किया था और इस पर एक नोट बनाने का काम किया था, जिससे कि हम यह जो एआरटी है, इसकी सेवाओं को कैसे regulate कर सकें सबसे पहले 2005 में इसके ऊपर विचार किया गया था। उसके बाद समय-समय पर 2008, 2010 और 2014 में भी एआरटी बिल लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय इसको संसदीय अनुमति नहीं मिल पाई और यह बिल उस समय पास नहीं हो सका।

मान्यवर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामले की संसदीय समिति ने इस सारे प्रकरण की 2017 में गंभीरता से समीक्षा की और अपने सुझाव दिए कि यह एआरटी बिल लाया जाना चाहिए, क्योंकि सरोगेसी क्लीनिक कोई सेवा नहीं होती। आम तौर पर एआरटी क्लीनिक के तहत सरोगेसी का विकल्प दिया जाता है। समिति का निष्कर्ष था कि यह समय की मांग है कि एआरटी क्लीनिक को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। इसलिए एआरटी क्लीनिक के संबंध में कानून बनाने का काम नितांत आवश्यक था और यह समय की आवश्यकता थी।

मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में एक स्थिति बनी है कि सारी दुनिया में भारत एक सरोगेसी हब के रूप में डेवलप हुआ है। इसका कारण यह है कि कोई नियम और कानून न होने के कारण अनियमित ढंग से तमाम विदेशी दम्पति यहां पर आकर किराए की कोख लेकर, बच्चा लेकर चले जाते थे। इसमें तमाम ऐसी विसंगतियां पैदा होती थीं, जिससे देश का नाम भी दुनिया में खराब होता था और जिसको लेकर सारे देश में चिंता होना स्वाभाविक था। इसके चलते बहुत से ऐसे लोग थे, जो अनैतिक ढंग से बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा लेने से इनकार कर देते थे। अगर बच्चा विकलांग है, तो वे उसको लेने से इनकार कर देते थे और कई बार ऐसी माताएं जो किराए की कोख में बच्चे को जब चाहती थीं, अबॉर्शन करने का भी निर्णय ले लेती थीं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए इस कानून की आवश्यकता बहुत जरूरी थी और आज मंत्री जी इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ये दोनों, सरोगेसी और एआरटी कानून लेकर लाए हैं। मैं समझता हूं कि आज समय की आवश्यकता है कि इनको regularize करना बहुत जरूरी है। **...(व्यवधान)...** इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्डों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो सरोगेसी बोर्ड होगा, वह स्टेट सरोगेसी बोर्ड को समय-समय पर राय और सलाह वगैरह देगा कि कैसे उनको नियंत्रित किया जाए। स्टेट सरोगेसी बोर्ड इन पर पूरा कंट्रोल करेगा और इसके लिए अलग से प्राधिकरण का गठन करेगा। जो सरोगेसी क्लीनिक्स पर नियंत्रण करने का काम करेगा और समय-समय पर इसके नियमन करने का भी काम करेगा, जिससे कोई irregularity न हो सके।

मान्यवर, इसके साथ ही सरोगेसी की इच्छा करने वाले, जो भी unproductive couples हैं, उनमें महिला के लिए 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

मान्यवर, इसी तरह से सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दम्पति कम-से-कम पाँच वर्ष से कानूनी रूप से विवाहित होने के बाद ही सरोगेसी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए, यह भी जरूरी है कि वे इंडियन सिटिजन होने चाहिए।

मान्यवर, यह उपबंध भी किया गया है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं किया जाएगा। सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो जैविक संतान को, जो बायलॉजिकल संतान को होते हैं। ये सभी अधिकार सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को भी प्राप्त होंगे, ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में की गई है।

मान्यवर, यह विधेयक उपबंध करता है कि महिला को केवल एक बार सरोगेट माँ बनने का अधिकार होगा, उसको केवल एक बार ही सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जाएगी।

मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड गठित किया जाएगा, जो अधिनियम के अधीन समय-समय पर प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा, कृत्यों का निष्पादन करेगा और राज्य तथा संघ राज्य स्तर के सरोगेसी बोर्ड का गठन करके इन सबका नियमन और कंट्रोल करने का काम करेगा।

मान्यवर, राज्य और संघ राज्य के स्तर पर एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकरणों और ट्रिब्युनलों की स्थापना करने का काम होगा, जिससे कि हम तमाम सरोगेसी क्लीनिक्स पर अंकुश लगा सकें, नियंत्रण कर सकें।

मान्यवर, इन क्लीनिकों को समुचित प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित करने के लिए इनको बाकायदा लाइसेंस लेना होगा और समय-समय पर इनकी जाँच होगी, जिससे कि इन क्लीनिक्स के माध्यम से कोई अनैतिक कार्य न हो सके।

मान्यवर, इसके साथ ही, यह बिल यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, संगठन या सरोगेसी क्लीनिक, प्रयोगशाला या किसी प्रकार के नैदिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक सरोगेसी का कार्य नहीं करेंगे। इस बिल के माध्यम से कमर्शियल सरोगेसी पर पूरा प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है। अभी तक कमर्शियल सरोगेसी के लिए हिन्दुस्तान बदनाम हो रहा था, अब इस विधेयक के माध्यम से उस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है।

मान्यवर, इस संबंध में सेलेक्ट कमेटी ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लगभग उन सभी सुझावों को इस महत्वपूर्ण बिल में समाहित करने का काम किया गया है। यह बिल आज समय की आवश्यकता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यह देश की प्रतिष्ठा और नैतिकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिल है। सरोगेसी से होने वाले बच्चे को सारे अधिकार प्राप्त हों, सरोगेसी मदर को सारी सुरक्षा प्राप्त हो, उनको मेडिकल एड मिले, उनको 36 महीने का बीमा कवर भी मिले, जिससे उनके स्वास्थ्य आदि की भी सुरक्षा हो सके, इन सारी चीजों की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अपने आप में सम्पूर्ण है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से दरखास्त करूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर सबको सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त करनी चाहिए। इस विधेयक के लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): धन्यवाद वाजपेयी जी। माननीय हैल्थ मिनिस्टर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डा. मनसुख मांडविया): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरोगेसी बिल राज्य सभा में लॉग टाइम से पेंडिंग था। लास्ट वीक में ART बिल और सरोगेसी बिल लोक सभा ने पास किया। आज और कल दो दिन में इस बिल पर कुल मिलाकर 15 सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, उनमें श्रीमती ममता मोहंता जी, श्री के.सी. रामामूर्ति जी, श्री अध्योध्या रामी रेड्डी आला जी, श्री के. सोमप्रसाद जी, डा. एम. थंबीदुरई जी, श्री रवींद्र कुमार कनकमेदला जी, ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.) जी, डा. अमर पटनायक जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी, श्री जी.के. वासन जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डा. विकास महात्मे जी, श्रीमती कान्ता कर्दम जी और डा. अशोक बाजपेयी जी शामिल हैं।

...(व्यवधान)...सभी सम्माननीय सदस्यों ने ART और सरोगेसी बिल पर विस्तार से अपना पक्ष रखा और अपनी बात भी रखी है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक यहां दुनिया से दम्पति आते थे। हमारे देश में सरोगेसी और ART कई सालों से चल रहा है। शायद 1978 में इंडिया में आईवीएफ तकनीक से सबसे पहले बालक का जन्म हुआ था और उस बालक का नाम कनुप्रिया था। इस बालक का जन्म 3 अक्टूबर, 1978 को हुआ था। देश में तब से आईवीएफ तकनीक का प्रयोग हो रहा है, सरोगेसी हो रही है इसलिए इसको रेग्युलेट करना बहुत आवश्यक था। दुनिया भर से लोग इंडिया में आए, हमारी महिला की कोख किराए पर लें और बच्चा पैदा करके, abandon करके चले जाएं, माननीय उपसभापति जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इंडिया में अब ऐसे दिन नहीं बचे हैं। अब समय बदल गया है और बदलते हुए समय के साथ हमारी बहन-बेटियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बिल के माध्यम से ऐसी महिला, जिसको कुदरती तौर पर मातृत्व प्राप्त नहीं हो सकता है, उसका सम्मान करना चाहते हैं। हम ऐसी महिला का सम्मान करने के लिए ये बिल लाए हैं। ये बिल ऐसी महिला, जो बालक चाहती है, परिवार बनाना चाहती है...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मंत्री जी के जवाब के अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

डा. मनसुख मांडविया : वह परिवार बनाने के अपने अधिकार से वंचित न रहे, इसका एक उद्देश्य यह भी था।

उपसभापति जी, सालों से देश में क्या हो रहा था? देश में ऐसी कई घटनाएं घटीं, जिनकी वजह से हमें इसको तुरंत ही रेग्युलेट करने की आवश्यकता महसूस हुई। 2014 में एक बार ऐसा हुआ था कि 26 साल की एक महिला को egg retrieval के दरमियान कुछ दिक्कत हुई और उसकी मृत्यु हो गई। जब एआरटी प्रक्रिया होती है, तो egg को ovary stimulate करनी होती है और stimulated ovary से egg निकाला जाता है। यह एक technical प्रक्रिया है। यदि ऐसी स्थिति में किसी महिला की मृत्यु हो जाए, तो उसका प्रोटेक्शन करना आवश्यक है, उसको रेग्युलेट करना आवश्यक है। उसकी जिंदगी खत्म न हो जाए, इसकी चिंता करना भी आवश्यक होता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है।

माननीय उपसभापति जी, कई बार ऐसी घटना घटित होती है कि जो अविवाहित महिला है, वह छोटी age में अपने ovum को भी कमर्शियली यूज कर लेती है, उसको बेचती है और अपनी आर्थिक रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करती है। ऐसी घटना भी घटित हुई थी और यह नहीं होना चाहिए, अतः इसको भी रेग्युलेट करने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभापति जी, आंध्र प्रदेश में एक घटना घटी थी कि 74 वर्ष की एक महिला ने दो twins को जन्म दिया था। 74 वर्ष के बाद twins को जन्म देना, उनको पालना, संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक वह बच्चा बड़ा होता है, तब तक उस माँ की age पूरी हो जाती

है। वह ethically भी ठीक नहीं लगता है और शारीरिक दृष्टि से medical science भी ऐसा कहता है कि इतनी age में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, अतः इसको कैसे regulate करें? उपसभापति जी, जो unethical practice होती है, उसको भी regulate करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता था कि आईवीएफ सैंटर्स तो थे, लेकिन regulation नहीं था। Surrogacy तो होती थी, लेकिन रेग्युलेशन प्रावधान नहीं होने से कई बार sex selection भी हो जाता था और multiple embryo transplant भी हो जाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो यहाँ निकली है, वह यह है कि उसमें gametes की mixing - यदि कोई यह चाहे कि मुझे इस टाइप का बालक चाहिए, जिसकी eyes ऐसी होनी चाहिए, जिसका कलर बहुत व्हाइट होना चाहिए, इसके लिए उसमें कभी gametes की mixing भी हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। वह स्थिति एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, इसलिए उसको regulate करने की आवश्यकता महसूस होती थी। इन सारी चीजों को देखते हुए एआरटी बिल में इसका प्रावधान किया गया है कि इसको कैसे रेग्युलेट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल करके जो महिला माँ बनना चाहती है, परिवार बनाना चाहती है, उसकी मदद अवश्य करें? उसकी मदद करनी है, इस दृष्टि से यह एक progressive Bill भी है और कुल मिलाकर हमारे देश की भावना और महिलाओं के शोषण को अटकाने का बिल भी है। अभी तक इस टाइप का एक पीरियड ऐसा भी गया है, जिसमें महिला अपनी luxurious life के लिए surrogacy करती थी, it is not good. एक महिला अपनी luxurious life के लिए surrogate करे, यह ठीक नहीं है, अतः उसको भी रोकने की आवश्यकता थी। जिसको बच्चे की आवश्यकता है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, जिसमें कोई clinical कमी है, ऐसी ही महिला surrogates का use करके मातृत्व धारण करे, उसे इसका अधिकार मिले, वह स्वाभाविक तौर पर माँ बन सके और अपने परिवार को भी बचा सके, इन सारे विषयों को देखते हुए ये दोनों बिल लाए गए हैं।

उपसभापति जी, जब राज्य सभा में पहले surrogacy Bill आया... मैं भूपेन्द्र यादव जी का अभिनंदन करना चाहूंगा जब इस सम्बन्ध में सलेक्ट कमेटी बनी, तब वे उस समिति के चेयरमैन थे। उनकी अध्यक्षता में बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हुई...(व्यवधान)...सुरोगेसी बिल की शुरुआत 2016 में हुई थी। उस समय, 2016 में गुप ऑफ मिनिस्टर्स बना और इस पर विस्तार से बातचीत हुई। उसके बाद वह लोक सभा में आया और वहाँ पारित हो गया। बाद में लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। तत्पश्चात् फिर से वह बिल लोक सभा में लाया गया और वहाँ पारित हुआ। उसके बाद यह बिल राज्य सभा में आया। ...(व्यवधान)...राज्य सभा की सलेक्ट कमेटी ने उस पर बहुत गहन चर्चा की थी और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कई सुझाव हमने मान भी लिए और कई सुझाव ऐसे हैं...(व्यवधान)...जिन्हें हम रूल्स में भी ला सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

डा. मनसुख मांडविया : उस वक्त सलेक्ट कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे और कहा था कि यदि आप केवल सुरोगेसी बिल लाएंगे और एआरटी बिल नहीं लाएंगे तो सुरोगेसी बिल का कोई महत्व नहीं होगा...(व्यवधान)...इसलिए यह तय किया गया कि सुरोगेसी बिल के साथ एआरटी बिल भी

लाना चाहिए, इसलिए जब सरोगेसी बिल और एआरटी बिल दोनों संयुक्त रूप से आए, तब राज्य सभा में उन्हें रखा रहने दिया गया।...(व्यवधान)...लोक सभा में एआरटी बिल पास होने के बाद ही राज्य सभा उसे पारित करे,- सेलेक्ट कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट दी थी। उसका संज्ञान लेकर हम एआरटी बिल लोक सभा में लेकर आए।...(व्यवधान)...वहां भी वह स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी ने भी करीब 64 सुझाव दिए। इन सभी सुझावों पर भी हमने डिसकस किया और ज्यादातर सुझाव मान लिए। इसके अलावा यहां की सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर जो सुझाव दिए थे, उन पर हमने विस्तार से विचार-विमर्श किया और माना।...(व्यवधान)...सरोगेसी का लाभ और एआरटी का लाभ कौन-कौन ले पाएगा, यहां पर इस बारे में कहा गया। जो सिंगल महिला है और मातृत्व धारण करना चाहती है, उसका लाभ ले सकती है या नहीं ले सकती है, इस पर भी यहां कहा गया।...(व्यवधान)...मैं बताना चाहता हूं कि सिंगल महिला को एआरटी का लाभ मिल ही सकता है इसलिए उसे एआरटी का लाभ लेकर सरोगेसी की आवश्यकता वैसे भी नहीं रहेगी। वह अपने परिवार को बचा सकती है।...(व्यवधान)...एआरटी बिल में और सरोगेसी बिल में कौन लाभ ले सकता है या व्यवस्था का कौन लाभ ले सकता है? जो भारत की विवाहित महिला है, पति-पत्नी हैं, वे उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अविवाहित स्त्री या अविवाहित महिला एआरटी का लाभ ले सकती है। इसके अलावा विधवा भी एआरटी का लाभ ले सकती है और सरोगेसी का भी लाभ ले सकती है।...(व्यवधान)...यदि कोई विधवा हो गई, किसी कारण से उसका पति नहीं रहा, ऐसी स्थिति में उसे अपनी फैमिली बनानी है तो विधवा स्वयं सक्षम है, वह स्वयं मातृत्व धारण कर सकती है।...(व्यवधान)...लेकिन यदि वह विधवा है और मातृत्व धारण करे, परंतु ऐसी स्थिति में नहीं है और फैमिली बनाना चाहती है तो सरोगेट का उपयोग कर सकती है।...(व्यवधान)...कई बार ऐसी घटना भी घटित होती है कि किसी का divorce हो गया हो और महिला अकेली हो गई, लेकिन वह फैमिली बनाना चाहती है, वह इसके लिए उपयुक्त है एवम् स्वयं मातृत्व धारण करना चाहती है, तो वह एआरटी का लाभ ले सकती है।...(व्यवधान)...ऐसी स्थिति में- जिसमें उसका divorce हो गया, वह अकेली हो गई, लेकिन मातृत्व धारण करने की स्थिति में नहीं है, तब वह क्या करे, क्योंकि वह बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में वह सरोगेट का भी उपयोग कर सके, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा जो ओसीआई और एनआरआई हैं, वे भारत में आते थे और सरोगेट का उपयोग करके बच्चा पैदा करते थे।...(व्यवधान)...इस तरह वे उनका कमर्शियल यूज करते थे और महिलाओं का शोषण करते थे। वे कई बार abandon करके भी चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जो भी couple विदेश से भारत में सरोगेसी के लिए आए, कोई महिला अपनी तरफ से सरोगेसी के लिए तैयार हो, तो उसके लिए वहां एक कानून है।...(व्यवधान)...जो बच्चा यहां पैदा होगा, उसे यहां की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर उसका उन्हें क्या फायदा होगा? हमने उसमें यह भी प्रावधान रखा है, और इस दृष्टिकोण को बहुत गम्भीरता से भी देखा है, समझा है।...(व्यवधान)...विवाहित महिला भी जब एआरटी का लाभ लेती है, तो हमने यह प्रावधान रखा है कि वह दो-तीन साल प्रयास करे, अगर बच्चा पैदा कर सकती है तो करे। इसके लिए हमने उसकी मिनिमम एज 21 साल से 50 साल रखी है। अगर वह सरोगेसी के लिए प्रयास करती है तो हमने उसकी उम्र 23 साल से 50 साल रखी है। अगर कोई महिला सक्षम है तो स्वयं बच्चा पैदा करे, उसे सरोगेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)...इसलिए वह पहले प्रयास करे, उसके बाद ही सरोगेसी का रास्ता अपनाए। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान में गोद लेने का भी tradition है। यह भी एक counseling का विषय है और हमारा यही सही tradition है। ...(व्यवधान)...यह परम्परा हमारे देश में काफी समय से चली आ रही है कि किसी फैमिली में कोई माता-पिता नहीं बन सकते हैं, मदर-फादर नहीं हो सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो वे अपने भाई का, रिश्तेदार का बेटा या बेटी गोद ले लेते हैं। यह भी एक ऑप्शन है और उसे बिल में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह ऑप्शन हम स्वीकार भी कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, माननीय उपसभापति महोदय, surrogate mother कौन बन सकती है? Surrogate mother बनने के लिए हमने तय किया है कि यह महिला परिचित ही होनी चाहिए, विवाहित ही होनी चाहिए। इसका commercialization न हो जाए। यहाँ कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में इसका बड़ा कारोबार हो गया है, industry खड़ी हो गई है, तो माननीय उपसभापति महोदय, यह industry नहीं है और न ही इसको कभी industry बनाना चाहिए, न ही यह देश की income का साधन होना चाहिए, यह मातृत्व धारण करने का विषय है। जिस दम्पति की संतान नहीं है, वे संतान पैदा करना चाहते हैं; वह महिला मातृत्व धारण करना चाहती है, family बनाना चाहती है, उसके लिए surrogacy है, उसके लिए ART है। यह commercial बन जाए, देश में industry के तौर पर develop हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो, इस भावना के साथ इस विषय को लाया गया है, इसलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है। इसका commercialization न हो जाए, इसलिए एक महिला एक बार ही surrogate mother बन सकती है, वह बार-बार surrogate mother नहीं बन सकती है। उसका एक child हो, वह minimum तीन साल का हो गया हो, क्योंकि एक बार जब उसकी बालक पैदा करने की क्षमता है, तो यह पता चल जाता है कि वह healthy है और बालक पैदा कर सकती है, तभी वह surrogate mother के रूप में आए, जिससे उसका शोषण होने की संभावना न रहे। जब वह इस स्थिति में आती है, तो उसका commercialization न हो जाए, यह भी आवश्यक है।

फिर gamete donor की age क्या होनी चाहिए, यह भी तय किया गया है। जब हम gametes देते हैं, तो उसकी एक age सुनिश्चित हो, जिससे gametes का misuse न हो और उसका commercialization न हो।

माननीय डिप्टी चैयरमैन साहब, हम यह जो registration करते हैं, ART के अंतर्गत कोई clinic है, तो आज इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई IVF clinic है, तो इस clinic का कोई registration नहीं है, इस clinic के पास कोई record नहीं है। Embryo बनाने के लिए clinic का उपयोग होता है, laboratory का उपयोग होता है। Laboratory में कितने embryos बने, इसका कोई registration नहीं है। Embryo किसका है, किसको देना है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वे ऐसे ही चलते रहते हैं। यह इतनी बड़ी industry न बन जाए, यह सचमुच में मातृत्व धारण करने का एक विषय रहे, इसलिए इसको regulate करना आवश्यक था। इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से देखा है।

इसके साथ ही जो donor है, ART में जो महिला है या जो surrogate mother के रूप में काम करेगी, उसकी health की चिंता करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने example दिया कि एक 23 साल की महिला, जब उसका ovum लेने के लिए उसकी ovary को stimulate किया गया, उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई या उसकी health पर कोई negative effect हो गया, तो ऐसी स्थिति

में उसका insurance होना बहुत आवश्यक है। वैसे आज के दिन तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इसे regulation के माध्यम से लाया गया है कि ART में जो महिला भाग लेगी, जिसका ovum लेना है, ऐसी महिला का 12 महीने तक का insurance किया जाएगा और जो surrogate mother के रूप में काम करेगी, ऐसी महिला का 36 महीने का insurance लेना compulsory है, जिससे भविष्य में यदि उसकी health पर कोई negative effect हुआ, तो insurance के माध्यम से उसको compensation मिल सके। किसी ने surrogacy का लाभ ले लिया और चला गया, बाद में महिला का जो होना है, हो, अब देश में यह नहीं चलेगा, इसलिए इसमें यह प्रावधान भी किया गया है।

दूसरा, इसका commercialization न हो जाए; जो महिला है, उसका शोषण न हो; कोई sex selection न करे; कोई gametes की mixing न कर ले; जो नियम बनाया गया है, कोई उसको न तोड़े, यह करना भी बहुत आवश्यक है। सब ethical practice से ही हो, इसलिए इस बिल में सज़ा का प्रावधान किया गया है, जेल का प्रावधान किया गया है। इसमें हम गलत काम करने वाले लोगों को क्या-क्या सज़ा देंगे, इसकी व्यवस्था रखी है। हम first time 5 से 10 लाख तक का जुर्माना करेंगे, कोई ethical practice का violation कर रहा हो, कोई unethical practice करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह hospital हो या laboratory हो, कोई भी हो, उसको 5 से 10 लाख का जुर्माना किया जाएगा। उसके बाद, जिन लोगों को इसकी habit हो गई और जान-बूझ कर second time या बार-बार उन्होंने इस काम को किया, तो उनको 10 से 20 लाख तक का जुर्माना और 8 साल तक की सज़ा भी दी जाएगी। Unethical practice करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह surrogacy में भी अगर कोई rules and regulations का violation करेगा, तो उसके लिए भी 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इन दोनों बिल्स को लाने से पहले, राज्य सभा में Surrogacy Bill पर दो दिन तक पहले भी discussion हुआ था। उस वक्त कई सुझाव भी आए थे और Select Committee ने उनका संज्ञान भी लिया था। कई स्टेट्स में जाकर, बहुत सारे लोगों से उन्होंने प्रत्यक्ष मुलाकात भी की, जहां surrogates रहती हैं, जिन IVF Clinics में यह काम होता है, ऐसे सब लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके अतिरिक्त ART के process को अच्छी तरह से समझा और उनके experts के साथ भी बातचीत की, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से मुलाकात की, Laboratories में जाकर मुलाकात की, इस काम से जुड़े हुए डॉक्टर्स के साथ consultation किया, इसके expert लोगों से बातचीत की, उसके बाद ही Select Committee ने अपनी रिपोर्ट रखी। पार्लियामेंट के प्लोर पर, लोक सभा और राज्य सभा में बहुत विस्तार से इस पर discussion हो चुका है और सुझाव भी आ चुके हैं, उसके बाद ये बिल्स लाए गए हैं। मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि unanimously इन दोनों बिल्स को पास किया जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Motion regarding consideration of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021, to vote. The question is:

"That the Bill for the regulation and supervision of the assisted reproductive technology clinics and the assisted reproductive technology banks, prevention of misuse, safe and ethical practice of assisted reproductive technology services for

addressing the issues of reproductive health where assisted reproductive technology is required for becoming a parent or for freezing gametes, embryos, embryonic tissues for further use due to infertility, disease or social or medical concerns and for regulation and supervision of research and development and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there are five Amendments; Amendments (Nos.1 to 3) by Shri John Brittas and Amendments (Nos.17 to 18) by Dr. V. Sivadasan. Both Shri John Brittas and Dr. V. Sivadasan are not present.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 7 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No.12) by Shri K.C. Venugopal; he is not present.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No.13) by Shri K.C. Venugopal; he is not present.

Clause 10 was added to the Bill.

....(Interruptions)... .

श्री उपसभापति : देखिए, बैल में खड़े होकर 'No' कहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य 'No' कहना चाहते हैं, तो they should go back to their seats.(Interruptions)...

.

Clause 11 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 12, there are two Amendments; Amendment (No.14) by Shri K.C. Venugopal and Amendment (No.19) by Dr. V. Sivadasan. Both Shri K.C. Venugopal and Dr. V. Sivadasan are not present.

Clause 12 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 13, there is one Amendment (No.20) by Dr. V. Sivadasan; he is not present.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 15, there are three Amendments; Amendments (Nos.4 to 6) by Shri John Brittas; he is not present.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 18 were added to the Bill.

4.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment; Amendment (No.15) by Shri K.C. Venugopal; not present.

Clause 19 was added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 21, there are two Amendments; Amendments (Nos.7 and 8) by Shri John Brittas; not present.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 22 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 23, there is one Amendment (No.16) by Shri K.C. Venugopal; not present.

Clause 23 was added to the Bill.

Clause 24 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 25, there is one Amendment (No.9) by Shri John Brittas; not present.

Clause 25 was added to the Bill.

Clauses 26 to 38 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 39, there is one Amendment (No.10) by Shri John Brittas; not present.

Clause 39 was added to the Bill.

Clauses 40 to 45 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 46, there is one Amendment (No.11) by Shri John Brittas; not present.

Clause 46 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Mansukh Mandaviya to move that the Bill be passed.

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020. The question is:

"That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are nine Amendments; Amendments (Nos.1 to 4) by Shri John Brittas and Amendments (Nos.14 to 18) by Dr. Mansukh Mandaviya. Shri John Brittas is not present. Dr. Mansukh Mandaviya.

Clause 2 - Definitions

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

14. That at page 2, after line 7, the following be inserted, namely:-

"(ca) "Assisted Reproductive Technology Act" means the Assisted Reproductive Technology Act, 2021;"

15. That at page 2, line 8, for the words "National Surrogacy Board," the words "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be substituted.

16. That at page 3, lines 6 and 7, for the words "the National Surrogacy Board or a State Surrogacy Board", the words "the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or a State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be substituted.

17. That at page 3, line 21, for the words "the State Surrogacy Board", the words "the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be substituted.

18. That at page 3, after line 41, the following be inserted namely:-

"(2) Words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Assisted Reproductive Technology Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 3) by Dr. V. Sivadasan; not present.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are two Amendments. Amendment (No. 5) by Shri John Brittas; not present, and, Amendment (No.32) by Dr. V. Sivadasan; not present.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there is one Amendment (No. 19) by the hon. Minister.

Clause 9 -- Number of Oocytes of Embryos to be implanted

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

19. That at page 7, line 10, *for* the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No. 6) by Dr. John Brittas; not present.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now take up insertion of new Clauses 14A and 14B. There is one Amendment (No. 20) of insertion of new Clauses 14A and 14B by the hon. Minister.

Insertion of new Clauses 14A and 14B

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

20. That at page 8, after line 19, the following new Clauses be ***inserted***, namely:-

"14A. There shall be established a Registry to be Establishment of
called the National Assisted Reproductive National Assisted

Technology and Surrogacy Registry for the purposes of registration of surrogacy clinics under this Act.

Reproductive Technology and Surrogacy Registry.

14B. The National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Registry referred to in section 14A and to be established under section 9 of the Assisted Reproductive Technology Act shall be the National Registry for the purposes of this Act and the functions to be discharged by the said Registry under the Assisted Reproductive Technology Act, shall, *mutatis mutandis*, apply."

Application of provisions of Assisted Reproductive Technology Act with respect to National Registry.

The question was put and the motion was adopted.

New Clauses 14A and 14B were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 15, there are four Amendments; Amendments (Nos. 7 to 9) by Shri John Brittas; not present, and, Amendment (No. 21) by the hon. Minister.

Clause 15 - Constitution of National Surrogacy Board

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

21. That at page 8, *for* lines 21 to 24, the following be *substituted*, namely:-

"NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARD AND STATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARDS

15. (1) The Central Government shall, by notification, constitute a Board to be known as the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board to exercise the power and perform the functions conferred on the Board under this Act."

Constitution of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board

The question was put and the motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clauses 16 to 22 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 23, there is one Amendment (No. 22) by the hon. Minister.

Clause 23 - Functions of Board

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

22. That at page 11, line 3, **for** the words, "State Surrogacy Boards", the words, "State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 24, there is one Amendment (No. 23) by the hon. Minister.

Clause 24 - Constitution of State Surrogacy Board

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

23. That at page 11, **for** line 6, the following be substituted, namely:-

"known as the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or the Union Territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, as the case may be."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clauses 25 to 32 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 33, there are two Amendments; Amendments (Nos. 24 and 25) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Clause 33 - Appointment of Appropriate Authority

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

24. That at page 13, *for* line 28, the following be *substituted* namely:-

"each of the Union territories for the purposes of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act."

25. That at page 13, *for* line 31, the following be *substituted* namely:-

"the whole or any part of the State for the purpose of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clause 34 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 35, there is one Amendment (No. 26) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Clause 35 - Powers of Appropriate Authorities

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

26. That at page 14, lines 32 and 33, *for* the words "the National Surrogacy Boards", the words "the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards." be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 35, as amended, was added to the Bill.

Clauses 36 to 47 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 48, there are four Amendments; Amendments (Nos. 27 to 30) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Clause 48 - Power to make Rules

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

27. That at page 13, line 5, *after* the words "sub-section (1)", the words "of section 2" be **inserted**.

28. That at page 17, line 8, *for* the words "the manner", the words "the period and manner" be ***substituted***.

29. That at page 17, line 19, *for* the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be ***substituted***.

30. That at page 17, lines 39 and 40, *for* the words "the State and Union territory Boards", the words "the State Assisted Reproductive technology and Surrogacy Board and Union territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

Clauses 49 to 51 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 52, there is one Amendment (No. 10) by Shri John Brittas; not present.

Clause 52 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1, there is one Amendment (No. 13) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Clause 1 - Short Title and Commencement

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

13. That at page 1, line 4, *for* the figure "2020" the figure "2021" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 12) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Enacting Formula

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

12. That at page 1, line 1, ***for*** the figure "Seventy-first" the word "Seventy-Second" be ***substituted*** .

*The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Long Title, there is one Amendment (No. 11) by Dr. Mansukh Mandaviya.

Long Title

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

11. That at page 1, ***for*** the words "National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards", the words "National Assisted reproductive Technology and Surrogacy Board, State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards" be ***substituted*** .

*The question was put and the motion was adopted.
The Long Title, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.
